

माननीय विधायक श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह

पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग से एन.ओ.सी. न मिलने से म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित निर्माण हेतु लंबित मार्गों की


जानकारी

स. क्र.	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	मार्ग की लागत (लाख में)	संविदाकार का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार पूर्णता का दिनांक	वन विभाग से एन.ओ.सी. हेतु की गई कार्यवाही का विवरण
1	MP28DM01	हरसा मोड़ से सलैया मार्ग निर्माण	12.00 (वन विभाग- 7.267 कि.मी.) (राजस्व विभाग- 4.733 कि.मी.)	1748.225	मेसर्स धनश्याम सिंह कन्स्ट्रक्शन, कर्वा (उ.प्र.)	06.10.2023	05.03.2025	उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 12.00 कि.मी. है जिसमें से 7.267 कि.मी. वन विभाग एवं 4.733 कि.मी. राजस्व विभाग अन्तर्गत आती है। मार्ग में वन विभाग के वाइल्ड लाइफ से एन.ओ.सी. हेतु ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.07.2020 को आवेदन किया गया था। उक्त प्रकरण दिनांक 15.07.2020 को वाइल्ड लाइफ वर्डन, दिनांक 31.07.2020 को सीक वाइल्ड लाइफ वर्डन के माध्यम से दिनांक 03.09.2020 को स्टेट गवर्नमेंट / स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के पास अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रेषित हुआ। दिनांक 30.01.2021 को उक्त प्रकरण नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में अनुमति हेतु प्रेषित हुआ। समय-समय पर वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा ली गई अपतियों का उत्तर ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.01.2024 को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 77 वी बैठक में चर्चा की गई जिसमें उक्त प्रकरण को स्वीकृत न करने का निर्णय लिया गया। वन विभाग से एक सी.ए. अन्तर्गत अनुमति हेतु ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 02.06.2023 को आवेदन किया गया। कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्र./0071/अ-20(3) दिनांक 06.10.2023 को सी.ए. लैण्ड उपलब्ध कराया गई। दिनांक 01.03.2024 को कलेक्टर पन्ना द्वारा एक आर.ए. प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण एक सी.ए. अन्तर्गत एम.एस. स्तर पी.एस.सी. 1 में स्वीकृति हेतु लंबित है।
								9





स.क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण	अनुमति हेतु विभाग द्वारा की गई
1	2	3	4	5
3	पन्ना	पन्ना	खजुरी मेनरोड से कोतवालीपुर	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना केपत्र क्रमांक-3127 दिनांक 06.12.2017 के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यालय पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना की ओर प्रेषित किया गया था। अनुमति प्राप्त करने हेतु सतत पत्राचार जारी है। दिनांक 12.07.2019 को उक्त मार्ग के संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

  
 व.प्र.स. (विधान सभा)  
 राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण  
 संघाल